

—:: न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस))

प्रकरण संख्या :-83/2025

दायर दिनांक :-01.04.2025

जी.सी.एम.एस. :-2025/96

फैसल दिनांक :-07.07.2025

श्री सरकार बजरिए भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री तुलसीराम पिता धनजी, निवासी-बोरी, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्रीमति बसू पत्नि श्री तुलसीराम, निवासी-बोरी, तहसील व जिला डूंगरपुर

—विपक्षीगण

उपस्थित :-



राजकीय परोकार


श्री लक्ष्मण कोटेड, अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रकरण अन्तर्गत राजस्थान भूराजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत

—:: निर्णय ::—

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षीगण को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर के आदेश क्रमांक एसडीओ/2021/1915-17 दिनांक 13.01.2022 द्वारा ग्राम बोरी तहसील डूंगरपुर के आराजी खसरा नम्बर 1941 में रकबा 0.32 हैक्टर भूमि आवंटित की गई थी। मौके पर कब्जा, काश्त नहीं किया गया है। विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी ने राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 के नियम 14 (4) के तहत उक्त कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त कराने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता विपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया कि मौजा बोरी में आवंटन खसरा संख्या 1941 रकबा 0.32 पर उपखण्ड अधिकारी, गिरदावर, पटवारी तहसीलदार द्वारा जांच कर विपक्षीगण को उक्त जमीन आवंटन की गई थी उस समय किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी ने नहीं दी थी। तथा उक्त जमीन विधिवत आवंटन हुई थी। विपक्षीगण उक्त जमीन पर करीब 40 वर्षों से मौके पर काबिज है और उक्त भूमि पर स्वयं का मकान बना हुआ है, तथा विपक्षीगण स्वयं ही उक्त खसरे पर खेती का कार्य करता है। विपक्षीगण ने आवंटन अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया है तथा उपखण्ड अधिकारी पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार द्वारा उक्त खसरे को देखकर विधिवत आवंटन किया गया था। विपक्षीगण उक्त खसरे से निरस्त किया गया तो रहने व खाने पिने की काफी परेशानी होगी। जिस कारण विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें।


  
जिला कलक्टर  
डूंगरपुर

उभयपक्षों की बहस समाप्त की गई। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण उक्त जमीन पर करीब 40 वर्षों से मौके पर काबिज है और उक्त भूमि पर खसरा नंबर 1941 बना हुआ है। विपक्षीगण खसरे ही उक्त खसरे पर खेती का कार्य करता है। विपक्षीगण ने आवंटन अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमावे। प्रार्थी राजकीय पेशेदार द्वारा अपने कथन में विपक्षीगण को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ राजस्व विभाग द्वारा आवंटित की गई थी। यदि विपक्षीगण का पूर्व से विधिक कब्जा होता तो उसे आवेदन के समय या संबंधित प्रक्रिया में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की और न ही मौके पर कब्जा लिया। अतः भूमि का आवंटन निरस्त किया जाए।

मेरे द्वारा उभयपक्षों की बहस पर गौरव विद्या एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि भूमिधारी तहसीलदार झुंजरपुर की रिपोर्ट अनुसार विपक्षीगणगण को उक्त आवंटन हुये 3 वर्ष से अधिक समय होने पर भी शर्तों की पालना नहीं की गई एवं न ही मौके पर कब्जा किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आवंटनी विपक्षीगणगण द्वारा जो नियम 14(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, झुंजरपुर के आदेश क्रमांक एसडीओ/2021/1915-17 दिनांक 13.01.2022 से विपक्षीगण को ग्राम बोरी के खसरा नम्बर 1941 में किये गये कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन रकबा 0.32 हैक्टर को निरस्त किया जाता है। निर्णयानुसार पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी, झुंजरपुर तथा भूमिधारी तहसीलदार, झुंजरपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।



  
(अंकित कुमार सिंह),  
जिला कलक्टर,  
झुंजरपुर